भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या- **1369**
उत्तर देने की तारीख-08/**12**/2025

ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं

†1369. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राथ मक/माध्य मक सरकारी स्कूल बंद करने का क्या कारण है तथा सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों की जिला-बार संख्या कतनी है;
(ख) क्या सरकार ने मोबाइल फोन/टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी कये हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दिल्ली और एनसीआर के स्कूल स्थायी रूप से ऑफ़लाइन मोड में (ब्लैकबोर्ड का उपयोग कर) संचा लत हो रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार निजी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के पूर्व नियमों को लागू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राज्यों में प्राथ मक और माध्य मक स्कूलों में शक्षकों की कुल संख्या तथा शक्षक-छात्र अनुपात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) स्कूल और साक्षरता वभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शक्षा के लए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शक्षा शुरू की है। इस योजना का गठन सर्व शक्षा अ भयान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्य मक शक्षा अ भयान (आरएमएसए) और शक्षक शक्षा की तीन पूर्ववर्ती केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मलाकर कया गया है। एनईपी 2020 की शुरुआत के बाद, इस योजना को एनईपी के अनुरूप कया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है क सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनकी व वध पृष्ठभू म, बहुभाषी आवश्यकताओं, व भन्न शैक्ष णक क्षमताओं का ख्याल रखता है और उन्हें अ धगम प्र क्रया में स क्रय भागीदार बनाता है।

शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची में है और अ धकांश स्कूल संबं धत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र/क्षेत्रा धकार के अंतर्गत आते हैं। स्कूलों को खोलना और बंद करना संबं धत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अ धकार क्षेत्र में आता है। नए स्कूल खोलने/मौजूदा स्कूलों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता का आकलन संबं धत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता और प्राथ मकता के आधार पर कया जाता है।

(ख) से (घ) शिक्षा मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए, ताकि छात्रों के बीच संरचित और सुरक्षित डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और स्क्रीन एक्सपोजर को सीमित किया जा सके। दिशानिर्देश बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की निगरानी में माता-पिता की भागीदारी के महत्व पर बल देते हैं, इंटरनेट के उपयोग के बारे में खुले संचार को बढ़ावा देते हैं तथा ऑफ़लाइन खेल और शारीरिक व्यायाम के साथ ऑनलाइन गतिविधियों को संतुलित करते हैं। छात्रों के बीच स्वस्थ ऑनलाइन आदतों को बढ़ावा देने वाले दिशा-निर्देशों को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf. को देखा जा सकता है।

संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल लागू करता है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। पहलों के अंतर्गत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की जाती है। आईसीटी सुविधाएं दो विकल्पों में प्रस्तुत की जाती हैं:

1. विकल्प I: पूर्व आईसीटी सुविधाओं के बिना स्कूल आईसीटी लैब या स्मार्ट क्लासरूम चुन सकते हैं। 700 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को एक अतिरिक्त आईसीटी लैब मिल सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधनों की खरीद कर सकते हैं, जो डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों का समर्थन कर सकते हैं।
2. विकल्प II: मौजूदा आईसीटी सुविधाओं वाले स्कूल योजना मानदंडों के तहत स्मार्ट क्लासरूम या टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटकों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी जोड़ा गया है और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। चैनलों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में सामग्री बनाने और प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है।

जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया है, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के तहत स्कूल आमतौर पर ऑफलाइन मोड में (पारंपरिक ब्लैकबोर्ड शिक्षण का उपयोग करते हुए) संचालित होते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में, स्कूल हाइब्रिड मोड अर्थात् भौतिक और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं (जहां भी ऑनलाइन शिक्षण संभव है) में कार्य कर सकते हैं।

(ङ) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का राज्य-वार ब्यौरा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) के ब्यौरे के साथ संलग्न हैं।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद द्वारा "ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं" के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा आतारां कत प्रश्न संख्या **1369** के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक

छात्र- शक्षक अनुपात (पीटीआर) के साथ राज्यों में प्राथ मक और माध्य मक स्कूलों के लए शक्षकों की कुल संख्या का ब्यौरा

भारत,राज्य,संघ राज्य क्षेत्र	प्रबंधन और स्कूल श्रेणी के अनुसार शक्षकों की संख्या							पीटीआर		
	प्राथ मक	उच्च प्राथ मक		माध्य मक			कुल	प्राथ मक	उच्च प्राथ मक	माध्य मक
	(1 to 5)	**(1-8)**	**(6-8)**	**(1-10)**	**(6-10)**	**(9-10)**				
भारत	1763157	1349927	235182	215810	243446	71873	3879395	20	20	15
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	892	790	0	842	50	0	2574	8	7	6
आंध्र प्रदेश	68897	17793	0	46254	29562	0	162506	16	13	9
अरुणाचल प्रदेश	3310	6377	166	2349	857	0	13059	7	7	9
असम	97427	26935	15575	17025	22030	2838	181830	20	17	13
बिहार	144752	261481	1784	492	63	181	408753	28	25	29
चंडीगढ़	32	269	0	2084	0	0	2385	28	17	11
छत्तीसगढ़	76638	700	55390	792	265	8524	142309	20	18	15
दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	538	1508	41	112	34	124	2357	32	34	22
दिल्ली	18798	113	229	631	1946	0	21717	32	31	16
गोवा	1639	304	0	0	981	0	2924	12	9	5
गुजरात	26945	151497	788	768	219	2580	182797	25	25	22
हरियाणा	33401	36	10683	162	7139	0	51421	24	19	9
हिमाचल प्रदेश	19620	59	5442	56	7138	0	32315	12	8	6
जम्मू और कश्मीर	19198	39671	579	14772	3047	216	77483	11	8	12
झारखंड	36547	45209	64	14492	504	1427	98243	31	35	37
कर्नाटक	36209	98157	257	8463	8179	25420	176685	18	15	17
केरल	16386	15124	643	5279	704	390	38526	20	24	14
लद्दाख	797	2274	62	788	276	14	4211	3	2	4
लक्षद्वीप	174	213	0	0	0	0	387	17	15	8
मध्य प्रदेश	126561	100007	23355	22908	7370	12889	293090	17	20	15
महाराष्ट्र	93104	114103	26	11737	1911	1149	222030	20	20	22
म णपुर	7000	2995	24	3577	363	0	13959	10	9	7
मेघालय	12400	60	7899	197	854	0	21410	19	10	9

मजोरम	5365	73	5639	26	34	2125	13262	9	4	7
नागालैंड	5671	6342	106	2767	1447	26	16359	5	4	6
ओ डशा	63005	78366	3373	40798	13212	6809	205563	17	17	16
पुडुचेरी	1587	491	14	575	381	0	3048	14	12	9
पंजाब	49164	64	8737	562	17443	0	75970	20	16	9
राजस्थान	65911	120315	941	2541	110	0	189818	14	12	11
सक्किम	2137	2296	0	2465	16	0	6914	4	5	5
त मलनाडु	57918	47349	297	340	29587	12	135503	20	17	13
तेलंगाना	44989	15258	39	4695	56008	0	120989	15	12	8
त्रिपुरा	5189	5716	24	6136	48	0	17113	18	16	11
उत्तर प्रदेश	349186	187392	68220	526	388	6158	611870	20	29	22
उत्तराखंड	22766	75	7403	109	4706	991	36050	14	14	7
पश्चिम बंगाल	249004	515	17382	490	26574	0	293965	25	31	19

स्रोत: यूडाइज+ **2024-25**

*****